

| विषय सूची                                                                                  |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| विवरण                                                                                      | पैरा  | पृष्ठ      |
| <b>प्राककथन</b>                                                                            |       |            |
| <b>कार्यकारी सार</b>                                                                       |       | (i) – (iv) |
| <b>अध्याय 1 - वित्त की स्थिति</b>                                                          |       |            |
| चालू वर्ष के राजकोषीय संव्यवहारों का सार                                                   | 1.1   | 1-4        |
| भारतीय रेल के संसाधन                                                                       | 1.2   | 4-13       |
| यात्री तथा अन्य कोचिंग सेवाओं के प्रति- सहायता                                             | 1.3   | 13-15      |
| संसाधनों का अनुप्रयोग                                                                      | 1.4   | 16-21      |
| राजस्व अधिशेष                                                                              | 1.5   | 22         |
| दक्षता सूचकांक                                                                             | 1.6   | 23-26      |
| रेलवे निधियां                                                                              | 1.7   | 26-32      |
| निष्कर्ष                                                                                   | 1.8   | 32-34      |
| सिफारिशें                                                                                  | 1.9   | 34         |
| <b>अध्याय 2 - अतिरिक्त बजटीय संस्थानों से परियोजनाओं का वित्तपोषण<br/>(परियोजना वित्त)</b> |       |            |
| प्रस्तावना                                                                                 | 2.1   | 35-36      |
| निधि के स्रोत और अनुप्रयोग                                                                 | 2.2   | 36-38      |
| वित्तपोषण के लिए परियोजनाओं की पहचान/स्वीकृति                                              | 2.3   | 38         |
| अलाभकारी परियोजनाओं का चयन                                                                 | 2.3.1 | 38-40      |
| अनुबंध की ईपीसी प्रणाली को न अपनाना                                                        | 2.3.2 | 40-43      |
| भूमि अधिग्रहण के कारण लंबित परियोजनाओं पर<br>ईबीआर वित्तपोषण                               | 2.3.3 | 43-44      |
| ईबीआर से राष्ट्रीय परियोजनाओं का वित्त पोषण                                                | 2.3.4 | 44         |
| निधियों का अनियमित उपयोग                                                                   | 2.3.5 | 44-47      |
| ईबीआर से वित्तपोषित योजनाओं की अप्रभावी<br>निगरानी                                         | 2.3.6 | 47-52      |
| निष्कर्ष                                                                                   | 2.4   | 52-53      |
| सिफारिशें                                                                                  | 2.5   | 53         |
| शब्दावली                                                                                   |       | 55-56      |
| अनुबंध-1                                                                                   |       | 57         |